



16

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017-18

ई/अश्रुमी कटनी द्वा.रा/2018/2484

पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण : 1. सोनाली कनौजिया पुत्री डॉ. जी.एल. कनौजिया उम्र लगभग 35 वर्ष,

2. रुपाली कनौजिया पुत्री डॉ. जी.एल. कनौजिया उम्र लगभग 30 वर्ष, बली डॉ. जी.एल. कनौजिया, पिता बी. एस.कनौजिया, उम्र लगभग 57 वर्ष, पेशा- डॉक्टर, निवासी-ग्राम कन्हवारा, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

*ठाकुर श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
दो रुपये दो रुपये दो रुपये दो रुपये
28/3/18*

विरुद्ध

गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक :

श्रीमति तुलसा बाई पत्नि श्री चुटवा काछी निवासी-ग्राम कन्हवारा, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं. मुडवारा, तह. व जिला कटनी (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष

यह पुनरीक्षण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 208/अ-6/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2018 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी के द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 93/अ-6/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 30.08.1997 से व्यक्ति होकर यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार पर प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण ग्राम कन्हवारा, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) के स्थाई निवासी हैं।
2. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागणों को कौशल्या बाई पत्नि मुकुन्दी काछी साकिन कन्हवारा, प.ह.नं. 55, तह. व जिला कटनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/कटनी / /भू.रा./2017/02438

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 16-8-16 को अदम पैरवी में खारिज की गई थी जिसके पुर्णस्थापन हेतु आवेदन आवेदक द्वारा 16 माह बाद पेश किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक का आवेदन अमान्य किया है। आवेदक द्वारा 16 माह के विलंब का कोई समुचित एवं समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है अतः प्रथमदृष्टया अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण में नहीं पाता हूँ। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशाठ सदस्य</p> 	